मुख्यालय/Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एंव रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
क.रा.बी.नि. Employees' State Insurance Corporation
E.S.I.C. (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

सत्यमेव जयते

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

संख्या: ए-49/13/1/2024-रा.भा./सम्मेलन दिनांक : .4.2025

सेवा में,

सभी अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक,
सभी संयुक्त निदेशक (प्रभारी)/ उप निदेशक(प्रभारी),
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ।

विषय: संयुक्त निदेशक(राजभाषा) तथा उप निदेशक(राजभाषा) उप अंचल के लिए स्टाफ की व्यवस्था संबंधी।

महोदय/ महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि राजभाषा नीति के अनुपालन तथा राजभाषा कार्यान्वयन के लिए संयुक्त निदेशक (राजभाषा) तथा उप निदेशक(राजभाषा) उप अंचल की तैनाती मुख्यालय द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों/ कार्यालयों में की गई है।

विभिन्न क्षेत्रों में तैनात संयुक्त निदेशक(राजभाषा) तथा उप निदेशक(राजभाषा) उप अंचल राजभाषा कार्यान्वयन का कार्य पूर्ण रूप से कर सके इसके लिए उनके पास अपेक्षित संख्या में स्टाफ की तैनाती होना आवश्यक है, परंतु कई बार देखने में आता है कि अपेक्षित स्टाफ की तैनाती न होने के कारण उन्हें कई बार राजभाषा नीति के पूर्ण कार्यान्वयन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

अतः इस संबंध में दिनांक 16 तथा 17 अगस्त, 2024 को एर्णाकुलम, केरल में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 33 वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार अनुरोध है कि आपके कार्यालय/ अस्पताल/ क्षेत्र में तैनात संयुक्त निदेशक(राजभाषा) तथा उप निदेशक (राजभाषा) उप अंचल के पास अपेक्षित संख्या में लिपिकीय तथा बहुकार्य कर्मचारियों की तैनाती की जाए ताकि राजभाषा कार्यान्वयन का कार्य पूर्ण एवं सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

यह पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

Digitally signed by
Shyam Kumar
Date: 29-04-2025
16:17:35

(श्याम कुमार)
संयुक्त निदेशक (राजभाषा)